# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारीः नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 06 / 2018 / जैसलमेर

अपीलांट

1. छुट्टे खान पुत्र गांधी खां
2. हाजी खां पुत्र गांधी खां
3. मोहम्मदखां पुत्र गांधी खां
4. खमीशे खां पुत्र श्री गांधी खां

रेस्पोडेंटगण

बनाम राजस्थान सरकार जरियेः—
1.श्रीमान जिला कलक्टर जैसलमेर।
2.तहसीलदार, फतेहगढ जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 36/2012 बनवान छुट्टेखां बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.10.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री मोहम्मद अली अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से।

## निर्णय

दिनांकः— 21.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि समरी बंदोबस्त का राजस्व रेकर्ड बनने पर वादीगण/अपीलांट के पिता स्व0 गांधीखा पुत्र कामल खां के नाम से समरी खसरा संख्या 175 रकबा 42.16 बीघा कब्जा काश्त अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद की गई थी। भू प्रबंध विभाग द्वारा ग्राम देवीकोट की पैमाईश स्थायी बंदोबस्त के कर्मचारियों द्वारा संवत 2022 में करने पर वादीगण/अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि की पैमाईश समरी खसरा संख्या 175 के हाल खसरा संख्या 543 रकबा 42.16 बीघा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार राजस्व रकेर्ड में अमल दरामद किया गया जब खसरा बंदोबस्त बनाया गया तब अपीलांट के पिता गांधी खां को बतौर ट्रेस पासर लिखकर उक्त भूमि सिवायचक में इन्द्राज किया गया जबकि भू प्रबंध विभाग के सहायक भू प्रबंध अधिकारी का उनके खाते की कृषि भूमि को ट्रेसपासर का सिवायचक इन्द्राज करने का कानूनी हक अधिकार नहीं था। स्थाई बंदोबस्त का जब राजस्व रेकर्ड संवत 2032 को लागू किया गया। उसके बाद देवीकोट की कृषि भूमि में कटौती कर नया राजस्व गांव देवीकोट से पृथक नये राजस्व गांव बनने पर देवीकोट के वर्तमान खसरा संख्या 543 के नवीन खसरा संख्या 476 रकबा 42.16 बीघा हैं जिस पर अपीलांट/वादीगण का कब्जा काश्त अपने पिता के समय से

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

चला आ रहा है। अपीलांट ने उक्त खसरे की खातेदारी घोषणा का वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम देवीकोट में पटवारी हल्का द्वारा एक कम्प्रेटिव रजिस्टर कायम कर नक्शे में भी परिवर्तन करने पर अपीलांट के सैटलमेंट के खसरा संख्या 543 के नवीन खसरा संख्या 476 कायम किये जो वर्तमान में लागू है इस सम्बंध स्वयं पटवारी हल्का के बयानों में कम्प्रेटिव रजिस्टर व नक्शा प्रदर्श 21 व 22 में स्वीकार किया हैं तथा पटवारी हल्का ने अपीलांट के पूर्ण दस्तावेजात में कब्जा काश्त होने के तथ्यों को भी स्वीकार किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि समरी बंदोबस्त का राजस्व रेकर्ड बनने पर वादीगण/अपीलांट के पिता स्व0 गांधीखा पुत्र कामल खां के नाम से समरी खसरा संख्या 175 रकबा 42.16 बीघा कब्जा काश्त अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद की गई थी। भू प्रबंध विभाग द्वारा ग्राम देवीकोट की पैमाईश स्थायी बंदोबस्त के कर्मचारियों द्वारा संवत 2022 में करने पर वादीगण/अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि की पैमाईश समरी खसरा संख्या 175 के हाल खसरा संख्या 543 रकबा 42.16 बीघा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार राजस्व रकेर्ड में अमल दरामद किया गया जब खसरा बंदोबस्त बनाया गया तब अपीलांट के पिता गांधी खां को बतौर ट्रेस पासर लिखकर उक्त भूमि सिवायचक में इन्द्राज किया गया जबकि भू प्रबंध विभाग के सहायक भू प्रबंध अधिकारी का उनके खाते की कृषि भूमि को ट्रेसपासर का सिवायचक इन्द्राज करने का कानूनी हक अधिकार नहीं था। स्थाई बंदोबस्त का जब राजस्व रेकर्ड संवत 2032 को लागू किया गया। उसके बाद देवीकोट की कृषि भूमि में कटौती कर नया राजस्व गांव देवीकोट से पृथक नये राजस्व गांव बनने पर देवीकोट के वर्तमान खसरा संख्या 543 के नवीन खसरा संख्या 476 रकबा 42.16 बीघा हैं जिस पर अपीलांट/वादीगण का कब्जा काश्त अपने पिता के समय से चला आ रहा है। अपीलांट ने उक्त खसरे की खातेदारी घोषणा का वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम देवीकोट में पटवारी हल्का द्वारा एक कम्प्रेटिव रजिस्टर कायम कर नक्शे में भी परिवर्तन करने पर अपीलांट के सैटलमेंट के खसरा संख्या 543 के नवीन खसरा संख्या 476 कायम किये जो

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

वर्तमान में लागू है इस सम्बंध स्वयं पटवारी हल्का के बयानों में कम्प्रेटिव रजिस्टर व नक्शा प्रदर्श 21 व 22 में स्वीकार किया हैं तथा पटवारी हल्का ने अपीलांट के पूर्ण दस्तावेजात में कब्जा काश्त होने के तथ्यों को भी स्वीकार किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। वकील अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित दृष्टांत पेश किये:–

DNJ 1996(Raj.) Page 397
RRT 2016(1) Page 374

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का वाद डिक्री फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि कम्प्रेटिव रजिस्टर ग्राम देवीकोट (प्रदर्श–2) "क्रमांक 53 खसरा संख्या 175 रकबा 34.10 बीघा (संवत 2021 में दर्ज) समरी सेटलमेंट से वर्तमान सेटलमेंट का खसरा संख्या 543 रकबा 42.16 बीघा गांधी पुत्र कामल कौम गमना साकिन देह के नाम साबित है, जो भू प्रबंध (सेटलमेंट) विभाग के खसरा (प्रदर्श–3) ग्राम देवीकोट संवत 2021 खसरा संख्या 543 रकबा 42.16 बीघा वर्तमान नाम कृषक अलावा जो काबिज काश्त एवं विशेष विवरण में गांधी पुत्र कामल कौम मुसलमान साकिन देह दर्ज है। खसरा परिवर्तनशील संवत 2021 फसल खरीफ (प्रदर्श–1) खसरा संख्या 175 कृषक गांधी पुत्र कामल गमना 34 बीघा अंकित है इसी क्रम में ढालबांछ (प्रदर्श–4) है। खसरा परिवर्तनशील संवत 2041 (1984–85) (प्रदर्श–5) मुताबिक ग्राम देवीकोट के वर्तमान खसरा संख्या 543 रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

12 बीघा पर मोहम्मद पुत्र गांधी कौम मुसलमान अपीलांट संख्या 03 का कब्जा काश्त है। इसके पश्चात वर्ष 2045, 2046 में भी उसका अतिक्रमण काश्त रहा। संवत 2046 एवं 2049, 2050, 2051 में ग्राम देवीकोट के खसरा संख्या 476 रकबा 42.16 बीघा पर भी खसरा परिवर्तनशील के अनुसार उसकी काश्त रही। संवत 2052 में इसी खसरा संख्या 476 रकबा 42.16 बीघा में से 15 बीघा पर हाजी अपीलांट संख्या 02 की काश्त रही है, जो 2053 में भी हैं। इसी की काश्त संवत 2057, 2058 में 8 बीघा पर रही है, जो पुनः संवत 2060 में भी मुताबिक अभिलेख है। तुलनात्मक रजिस्टर मौजा दवीकोट (प्रदर्श–19) मे स्पष्ट किया गया है कि खसरा संख्या 543 से ही खसरा संख्या 476 बना है। प्रस्तुत न्यायिक नजीर 1996 DNJ(Raj.) 397 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा अभिनिर्धारित कि "वर्तमान मामले में प्रार्थी कई वर्षों से भूमि पर काबिज है और उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड उसका समर्थन करते हैं। अभिनिर्धारित राजस्व मण्डल के आक्षपित आदेश को खंडित किया गया। RRT 2016(1) Page 374 राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिधारित विधि का सारवान सिद्धांत है कि Settlement department was not competent to change the entries of the record & they are bound to repeat the entries. हस्तगत अपील में वादग्रस्त भूमि प्रदर्श–2 से अपीलांट के पिता के नाम समरी में खातेदारी में होना साबित है परन्तु प्रदर्श–3 में उसे भूमि पर खातेदार न मानकर भू प्रबंध विभाग ने उसका नाम विशेष विवरण में अंकित किया जो विधि सम्मत नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 36/2012 बनवान छुट्टेखां बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.10.2017 को अपास्त किया जाकर अपीलांट को ग्राम देवीकोट के खसरा संख्या 476 रकबा 42.16 बीघा का खातेदार घोषित किया जाता है।

21/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

यह आदेश आज दिनांक 21.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner